**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.07.2026**

**स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 26.05.2026 को वादिया द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्ता पूजा द्वारा वादिया की बच्ची को बिना बताये घर से ले जाकर अभियुक्त मोनू उर्फ मनोज नाम के व्यक्ति को दे देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटैज, सुरागसी-पतारसी, सर्विलांस के आधार पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपहृता नवजात शिशु(उम्र 11 दिन) को सकुशल बरामद किया गया तथा 16 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उपरोक्त अभियोग में अन्य वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु टीमें लगाई गयी।

आज दिनांक 09.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रदीप मेहता पुत्र भूमि मेहता निवासी ग्राम कुमारपुर थाना बिहारीगंज जनपद मधेपुरा (बिहार) उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त प्रदीप मेहता ने पूछने पर बताया कि अनिल लकड़ा को मैं लगभग 03-04 साल पहले से जानता था अनिल लकड़ा ने ही मुझे बताया था कि बच्चों को हम लोग कम दामों में उसके माता पिता से खरीदकर अधिक पैसो में अपनी टीम के माध्यम से बेचते है जिसमें सबको हिस्सा मिलता है। अनिल जानता था कि मैं नोटो की कलर फोटोकॉपी कर लेता हूँ। अनिल लकड़ा ने मेरी मुलाकात करूणा से कराई थी। करूणा व अनिल लकड़ा के माध्यम से मैं मनोज उर्फ मोनू से मिला। मनोज उर्फ मोनू ने मुझसे कहा कि प्रदीप हमारे साथ काम करो तुम्हारे नकली नोटों को मैं बच्चा खरीदने में प्रयोग करूंगा और एक लाख रूपये नकली नोट पर मैं तुम्हे 25 हजार रूपये अलग से दूंगा तथा बच्चों के विक्रय में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। इसी लालच में आकर मैं नकली नोट तैयार कर करूणा व अनिल लकड़ा के माध्यम से मनोज उर्फ मोनू तक पहुँचाता था और मुझे मेरा हिस्सा मिलता था तथा नकली नोटों का पैसा अलग से मिलता था। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे गिरोह के काफी सदस्य बच्चा चोरी में पकडे जा चुके है। अपने पकडे जाने के डर से मैंने अपना प्रिन्टर जिससे मैं नकली नोट बनाता था उसको तोडकर नदी में फेंक दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

प्रदीप मेहता पुत्र भूमि मेहता निवासी ग्राम कुमारपुर थाना बिहारीगंज जनपद मधेपुरा (बिहार) उम्र करीब 50 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

स्वाट टीम ग्रामीण जोन

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी एक्टिवा, 01 अवैध तमंचा तथा 01 जिंदा कारतूस बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 09.07.2026 को थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त जाकिर पुत्र साकिर नि0 म0नं0 ई-44, ए-346 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को शौचालय कट डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से चोरी की 01 स्कूटी एक्टिवा, 01 अवैध तमंचा तथा 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/5 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब करीब 6 महीने पहले मैंने यह श्याम पार्क साहिबाबाद थाना क्षेत्र से चोरी की थी साहब यह स्कूटी चोरी की है बरामद तमंचे के बारे में पूछताछ की तो बताया कि मैं इसको अपने पास लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूं और बताया कि साहब मै नशा करने का आदी हूँ, आज मैं मोटर साईकिल/ स्कूटी व बंद पडे मकानो मे चोरी करने आया था तभी पुलिस ने पकड़ लिया साहब गलती हो गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

- जाकिर पुत्र साकिर नि0 म0नं0 ई-44, ए-346 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन व थाना साहिबाबाद में चोरी करने,चोरी का माल बरामद होने, आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण:-**

चोरी की 01 स्कूटी एक्टिवा ,01 अवैध तमंचा तथा 01 जिंदा कारतूस बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

**थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**कार्यवाही का विवरण:** दिनांक 07.07.2026 को थाना खोड़ा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि चार-पाँच महीने पहले सैफ अली द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने व दिनांक 05.07.26 को अभियुक्त द्वारा वादिया के घर में घुसकर मारपीट कर धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 64(1), 115(2), 351(3), 333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 08.07.26 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त सैफ अली पुत्र अतीक हुसैन वर्तमान निवासी संडे मार्केट खोड़ा व मूल निवासी गांव डींगरपुर थाना व तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को आदर्श नगर खोड़ा से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि करीब 04-05 महीने पहले मेरी मुलाकात वादिया से हुई थी तभी से मैं उसे पसन्द करने लगा था एवं उससे बातचीत करने के लिए लगातार पीछा कर रहा था। करीब 04 माह पूर्व मैंने शराब के नशे में धोखे से उसे बुलाकर जबरदस्ती की।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**

1. अभियुक्त सैफ अली पुत्र अतीक हुसैन वर्तमान निवासी संडे मार्केट खोड़ा व मूल निवासी गांव डींगरपुर थाना व तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

**कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा**

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री धर्मेन्द्र कुमार तत्कालीन थाना प्रभारी थाना निवाड़ी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राजेश चन्द शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना निवाड़ी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302 भादवि में अभियुक्त सुमित उर्फ बब्लू पुत्र पीतम सिंह नि0 ग्राम पैंगा थाना निवाड़ी गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.07.2026 को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादिया के देवर (अभियुक्त) द्वारा वादिया के ससुर व पति पर फॉवड़े से वार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 24.12.2018 को थाना निवाड़ी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **श्री राजेश चन्द शर्मा**<br>जिला शासकीय अधिवक्ता<br>(फौजदारी) | **म0मु0आ0 उषा**<br>पैरोकार कन्विक्शन सेल | **का0 प्रविन्द्र कुमार**<br>पैरोकार थाना निवाड़ी |